भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1425

दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों संबंधी राष्ट्रीय नीति

†1425 श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ बेहतर तालमेल के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी सूची को औपचारिक बनाने और प्राथमिकता देने के लिए उठाए जा रहे विशिष्ट कदम क्या है;

(ख) सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों संबंधी अपने राष्ट्रीय मिशन में विशेष रूप से कर प्रोत्साहन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सुधार और रणनीतिक भंडार की स्थापना के संबंध में नीतिगत अंतर का समाधान करने की योजना क्या है;

(ग) घरेलू खनन और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विचार की जा रही रणनीतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को किस प्रकार आकर्षित करने का विचार है;

(घ) महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करने और चीन जैसे विशिष्ट देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भारत की सहभागिता इसकी क्षमता को कैसे प्रभावित करती है; और

(ङ) भारत की टिकाऊ खनन प्रथाओं, पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों और पर्यावरणीय विनियमों में अनुसंधान सहित महत्वपूर्ण खनिज रणनीति में नवाचार और सतत्ता को एकीकृत करने के लिए विचार किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से 17.08.2023 से संशोधित किया गया है।

संशोधन अधिनियम, 2023 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i) अनुसूची-I के भाग घ में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सूची।

ii) अनुसूची-I के भाग ख में 12 परमाणु खनिजों की सूची में से छह खनिजों अर्थात् लिथियम, टाइटेनियम, बेरिल और बेरिलियम युक्त खनिज, नियोबियम, टैंटालम तथा जिरकोनियम युक्त खनिज को हटाया गया और उन्हें 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सूची में शामिल किया गया।

iii) अधिनियम की धारा 11घ जो केंद्र सरकार को अनुसूची-I के भाग घ में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए अनन्य रूप से खनन पट्टे और संयुक्त लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देती है।

iv) अधिनियम की अनुसूची-VII में शामिल 29 खनिजों के लिए गवेषण लाइसेंस।

इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय को एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 20क के तहत 21 अक्टूबर 2024 के आदेश के माध्यम से गवेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है।

(ख) और (ग) केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में 23 जुलाई, 2024 को घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की घोषणा की है।

घरेलू खनन और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाने तथा विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी अंतरण को आकर्षित करने के लिए, खान मंत्रालय निम्नलिखित बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है:

i. महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए संभावित खनन स्थलों की पहचान करने हेतु गवेषण कार्यक्रम में वृद्धि करने के लिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने चालू वर्ष 2024-25 में देश भर में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए 195 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

ii. मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के माध्यम से खनन गवेषण की विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अब तक, एनएमईटी ने विभिन्न गवेषण एजेंसियों के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की 139 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।

iii. गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने 28 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां एनएमईटी से प्राप्त वित्त पोषण के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं चला रही हैं।

iv. केंद्र सरकार ने 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए 24 ब्लॉकों की नीलामी की है।

v. इसके अलावा, धातु और गैर-धातु अयस्कों के खनन और गवेषण के लिए 'स्वचालित' मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। एक विदेशी कंपनी खनन और गवेषण अधिकारों के अनुदान हेतु पात्र बनने के लिए एक भारतीय सहायक कंपनी को शामिल कर सकती है या किसी मौजूदा भारतीय कंपनी में निवेश कर सकती है।

vi. महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र की सहायता करने के लिए, सरकार ने 25 खनिजों पर सीमा शुल्क को समाप्त और 2 खनिजों पर मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को कम किया है।

vii. खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सहित कई उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए खनिज सुरक्षा भागीदारी (एमएसपी) और इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ), महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों (आईसीईटी) पर पहल और इसी प्रकार के अन्य विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों का भाग है।

(घ) खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने तथा महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और विकास में नवीनतम प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने के लिए संसाधन संपन्न देशों और एमएसपी, आईपीईएफ जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं।

इसके अलावा, खान मंत्रालय के एक संयुक्त उद्यम काबिल ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15703 हेक्टेयर क्षेत्र का अधिग्रहण किया है।

(ड.) खान मंत्रालय अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के माध्यम से खनन और धातु विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचार में महत्वपूर्ण खनिजों के बढ़ते महत्व के कारण, खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण खनिजों पर अधिक से अधिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाए। तदनुसार, कार्यक्रम के उद्देश्य के रूप में सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2024-25 के दौरान 28.11.2024 तक उक्त कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित कुल 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के अध्याय-V के तहत प्रावधान करके सतत खनन को लागू किया है। वायु प्रदूषण से बचाव, जहरीले तरल पदार्थ के रिसाव की रोकथाम, ध्वनि प्रदूषण से बचाव, सतह के धंसने पर नियंत्रण आदि के लिए नियमों में प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 में खनिकों द्वारा अपनाई गई सतत खनन पद्धतियों के आधार पर खनन पट्टों की स्टार रेटिंग का प्रावधान है। इसके अलावा, एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 (4) के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टा धारक खनन कार्य शुरू होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम तीन सितारा रेटिंग प्राप्त करेगा और उसके बाद वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसे बनाए रखेगा।

*****